



Neutral Citation No. 2026:AHC:15023

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट बी संख्या- 202 वर्ष 2026

राजेंद्र सिंह

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

माननीय राजस्व परिषद सदस्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

:

मानवेंद्र प्रताप सिंह सुपर्ण समदरिया

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्याया कक्ष संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री शैलेश श्रीवास्तव को सुना गया।
2. यह याचिका परमादेश के लिए दायर की गई है जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1/राजस्व परिषद उ० प्र० प्रयागराज को निर्देश दिया गया है कि वह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 219 के तहत मुकदमा संख्या आरईवी/166/2021 (कम्प्यूटरीकृत मुकदमा संख्या एएल2021142900166) (बृजभान सिंह और अन्य बनाम अपर कलेक्टर गाजीपुर और अन्य) को निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारित करे।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि निजी प्रत्यर्थी द्वारा दायर की गई उपर्युक्त पुनरीक्षण याचिका जिसमें याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी पक्षकार संख्या 3 के रूप में शामिल किया गया है और जो उ० प्र० भूराजस्व अधिनियम 1901 की धारा 28 के तहत कार्यवाही से उत्पन्न हुई है प्रत्यर्थी संख्या 1/राजस्व परिषद उ० प्र० प्रयागराज के समक्ष 20.01.2021 से लंबित है। उन्होंने आगे बताया कि मामले की आदेशपत्र की एक प्रति याचिका के साथ अनुलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न की गई है ताकि यह दर्शाया जा सके कि मामले की कार्यवाही तेजी से आगे नहीं बढ़ रही है।
4. मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना तथा तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1/राजस्व परिषद उ० प्र० प्रयागराज को निर्देश दिया जाता है कि वह उपर्युक्त मुकदमा संख्या आरईवी/166/2021 (कम्प्यूटरीकृत मुकदमा संख्या एएल2021142900166) (बृजभान सिंह और अन्य बनाम अपर कलेक्टर गाजीपुर और अन्य) को उ० प्र० भूराजस्व अधिनियम 1901 की धारा 219 के तहत कानून के अनुसार पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद गुणदोष के आधार पर शीघ्रता से निपटाए अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर।
5. तदनुसार यह रिट याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

21 जनवरी 2026

रमीज़

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"